क्रम संख्या–18

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0

पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 500/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 28, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन में नियत करे, प्रवृत्त होगा।

अध्याय–2

मूल अधिनियम की धारा 29 में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे; अर्थात् :

(1) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में "छः अन्य सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चार अन्य सदस्य" शब्द रख दिये जायेंगे।

इसी उपधारा में निम्न परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा :

"परन्तु अग्रेत्तर यह भी कि किसी विषय विशेष से सम्बन्धित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह–सचिव पद नामित कर सकेगी।"

(2) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के बाद एक नयी उपधारा (3) अन्तः स्थापित कर दी जायेगी; अर्थात :

"(3) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिये मुख्य समिति की सहायतार्थ उपसमिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।"

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Panchayat (Third Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 28 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 13, 2004:--

No. 500/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL PANCHAYAT (THIRD AMENDMENT) Act, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 28 OF 2003)

A Bill further to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttaranchal)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER--1

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat (Third Amendment) Act, 2003. Short title, Extent and Commencement

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may; by notification in the Gazette appoint.

CHAPTER--2

2. Section 29 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (As applicable to the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as principal Act) shall be amended as follows, namely : Amendment of section 29 of the principal Act

(1) The words "Six other members" of sub-section (2) of section 29 of the principal Act shall be substituted by the words "Four other members".
The following provision shall be inserted in this sub-section :
"Provided further that the State Government may designate any Government servant as Co-Secretary to a committee related to any particular subject."

(2) After sub-section (2) of section 29 of the principal Act, a new sub-section (3) shall be inserted as follows, namely :

"(3) The State Government may, if and when so required, constitute a sub-committee for a particular subject to assist the main committee by notification."

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधायी / 33–2004–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।